भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3353
जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहनों को प्रोत्साहन

3353. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के नियंत्रण के लिए पेट्रोल, डीजल वाहनों के अतिरिक्त विद्युत चालित वाहनों के उपयोग के लिए कोई विधान लाने की योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास देश में वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान के लिए भारत में मेक इन इंडिया परियोजना के साथ विद्युत चालित वाहनों के निर्माण को बढ़वा देने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी नहीं। दिल्ली में पेट्रोल/डीजल वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग हेतु विधान लाने की कोई योजना भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख): उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2015 में फेम इंडिया स्कीम [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] अधिसूचित की। दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए ₹795 करोड़ परिव्यय के साथ स्कीम का चरण-1 अनुमोदित किया गया जिसे बाद में दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसके विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करना है। इस स्कीम को बल दिए जाने वाले चार क्षेत्रों नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी मंच/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस स्कीम के मांग सृजन घटक के अंतर्गत, व्यापक अंगीकरण को सुगम बनाने के लिए अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में एक्सईवी के खरीददार के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है। इस स्कीम के माध्यम से दिए जा रहे मांग प्रोत्साहनों के ब्यौरे स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिए गए हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अर्हता मानदण्डों में भारत में बनाए जाने वाले इलेक्ट्रक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) का उल्लेख है।

******